न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 151/2018

1. हरसहाय पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम उदावाला तहसील दौसा जिला दौसा।
... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंथल।
...रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 28.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरसहाय मु0नं0 128/2018।

उपस्थित : 1. श्री मौहम्मद आरिफ, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 29.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 20.08.2018 को ग्राम उदावाला तहसील दौसा के खसरा नं0 190 के रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर संवत 2075 खरीफ में तारबंदी कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित कर तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाव को देखे बिना एवं बिना पटवारी हल्का के बयान लिए पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना अपीलांट की उपस्थिति मे नाप करवाये बिना विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के खिलाफ पूर्व अतिचार सिद्ध नहीं होने के बावजूद उक्त आदेश पारित किया गया है।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की

रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.8.2018 में अंकित किया है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट की रिकार्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन करवाया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 190 के रकबा 0.01 है0 पर अतिक्रमी द्वारा तारबंदी की जाकर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.8.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 दिसंबर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official